अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां, गिरिडीह।

	विविध वाद संख्यां–27/2019–20 अजय यादव **बनाम** राजेन्द्र प्रसाद यादव	
आदेश का क्रम संख्यां एवं तारिख	**आदेश**	
15.09.2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन देते हूए वादगत भूमि मौजा माल्डा, थाना नं 268, खाता नं 15, प्लॉट नं0 280,रकवा 2.23 डी0 भूमि को रजीस्टर ।। में चढाने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के पत्रांक 2772 दिनांक 18.09.2017 एवं राजस्व उपनिरीक्षक श्री नरेश कुमार हल्का VIII. के जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न की गयी है। जिसमे स्पष्ट है कि मौजा आरागारो, थाना नं 268 खाता नं 15, प्लॉट नं 280, रकवा 30.50 एकड के मधे 4.40 एकड भूमि गैरमजरूआ खास खाते की हैं किस्म जमीन जंगल दर्ज है। उक्त के आलोक में दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल कागजात के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया, एवं विभिन्न तिथियों में दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदन पत्र के साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति को पुनः राजस्व उपनिरीक्षक से जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, मौजा आरागारो, थाना नं 268, सर्वे खतियान के अनुसार खाता नं 15 प्लॉट नं 28, रकवा 30.50 एकड के मधे 4.40 एकड गैरमजरूआ खास खाते की है, जमीन किस्म जंगल दर्ज है। पक्ष एवं विपक्ष की भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है, जांच के क्रम में स्थल पर ग्रामीण भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों से भूमि संबंधी राजस्व कागजात की मांग की गयी एवं दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हल्का में उपलब्ध पंजी ।। के पृष्ठ संख्यां 70 भोलूम नं0 ।। पर खाता नं 15 पृष्ठ 70 पर महोदव महतो, पिता दीपचन्द महतो दर्ज है, पृष्ठ पर रकवा दर्ज नहीं है। पंजी ।। के पृष्ठ संख्यां 70 में अंचल अधिकारी के फटबन्दी दाखिल–खारीज मु0 नं 502/87–88 के अनुसार दर्ज किया गया है, तथा वर्ष 1989–1990 तक रसीद निर्गत है, पंजी ।। के पृष्ठ संख्यां 69 भोलूम नं ।। पर खाता नं 15, प्लॉट नं 280 रकवा 4.40 एकड भूमि जमाबंदी कायम होकर बढन महतो पिता पोखन महतो के नाम से वर्ष 2014–15 तक रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष अजय यादव पिता बन्धु महतो के द्वारा बतलाया गया है कि उक्त खाता प्लॉट की भूमि हुकुमनामा से मेरे दादा महादेव महतो पिता दीपचन्द	

महतो वो बढन महतो पिता पोखन महतो के नाम से पूर्व में था, बाद में वर्ष 1987–88 में दोनो गोतिया के साथ उक्त भूमि को फटबन्दी बराबर कर अलग–अलग जमाबन्दी कायम किया गया था। जिसके साक्ष्य में इन्होने फटबन्दी का दाखिल–खारीज पंजी ।। की प्रति एवं वर्ष 1987–88 तक रसीद की छायाप्रति दी गयी जो अभिलेख में संलग्न है। पंजी ।। के पृष्ठ संख्यां 70 भोलूम 2 पर महादेव महतो पिता दीपचन्द महतो के नाम से कायम है, जिसपर दाखिल–खारीज के नं0 502/1987–88 दर्ज है एवं रसीद 1988–89 से 1989–90 तक विवरण दर्ज है पर रकवा दर्ज नहीं है, हुकुमनामा का मूल जमाबन्दी पंजी ।। पर दर्ज नही है।

द्वितिय पक्ष राजेन्द्र कुमार पिता श्यामजीत महतो जांच के क्रम बतलाया गया कि उक्त खाता, प्लॉट का कुल रकवा 4.40 एकड भूमि सिर्फ मेरे दादा बढन महतो पिता पोखन महतो के नाम से है जो जमाबन्दी कायम है, तथा रसीद निर्गत है, पंजी।। के अवलोकन से मालूम हुआ कि सक्षम पदाधिकारी का पंजी ।। पर आदेश प्राप्त नही है, सिर्फ लिखा है कि पन्ना फट जाने के कारण 26/1 से लाया गयाा है, राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में यह भी वर्णित है कि सम्पूर्ण भूमि परती है। द्वितिय पक्ष राजेन्द्र कुमार के द्वारा स्थल पर डीप बोरिंग तथा एक डोभा T.C.B का निर्माण किया गया है।

उभय पक्ष के द्वारा अपना पक्ष रखा एवं जवाब प्रस्तुत किया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक के जांच प्रतिवेदन को अवलोकन से यह बात सामने आई कि उक्त भूमि के दखल कब्जा को लेकर विवाद उत्पन्न हुई है, परन्तू दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत पंजी ।। में ना हीं रकवा दर्ज है और ना हीं सक्षम पदाधिकारी का पंजी ।। पर हस्ताक्षर नहीं है। द्वितिय पक्ष के द्वारा रिटर्न की कॉपी प्रस्तुत किया गया परन्तु रिर्टन में किसी सक्ष्म पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, एवं रिटर्न क्षतिग्रस्त है।

तत्पश्चात यह मामला सक्षम न्यायालय के लिए अनुशंसा की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/09/2021

अंचल अधिकारी,
गावां।

15/09/2021

अंचल अधिकारी,
गावां।

Digitally signed by Mahendra Rabidas
Date: 2023.01.12 17:08:35 +05:30
Location: 192.168.247.76